न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर

राजस्व वाद संख्याः— 76 / 2015

पीठासीन अधिकारीः— दीनदयाल बाकोलिया, आर.ए.एस.

1. मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी इस्लामिया मदरसा के पास वार्ड नम्बर 10 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. निवाज मोहम्मद पुत्र स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 नेक नगर बिदासर जिला चूरू राजस्थान
3. अब्दुल मजीद पुत्र स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 नेक नगर बिदासर जिला चूरू राजस्थान

वादीगण

बनाम

मांगीलाल पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. भागुराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. गणपतराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. सुखाराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. कानाराम पुत्र बिडदाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. भंवरराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. हडमानाराम पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. सोहनराम पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी कालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. यूनूस पुत्र स्व. मोहम्मद हनीफ जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. फतेहमोहम्मद पुत्र स्व. मोहम्मद हनीफ जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
11. रूकीया पुत्री स्व. मोहम्मद हनीफ जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
12. जमीला पुत्री स्व. मोहम्मद हनीफ जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
13. रजिया पुत्री स्व. मोहम्मद हनीफ जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
14. सबीर पुत्र सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
15. अजीज पुत्र सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
16. अकरम पुत्र सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
17. मोहम्मद पुत्र सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
18. फरजाना पुत्री सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
19. फरीदा पुत्री सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
20. सबाना पुत्री सतार जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 बीदासर नेक नगर जिला चूरू राजस्थान
21. इदरीश पुत्र स्व. हाजी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
22. अलताफ पुत्र स्व. हाजी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
23. मुन्ना पुत्र स्व. हाजी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
24. बतुल् पत्नी स्व0 लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
25. अब्दुल हमीद पुत्र लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
26. फरूक पुत्र लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
27. लियाकत पुत्र लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

28. कलसूम पुत्री लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
29. जलेखां पुत्री लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
30. जरीना पुत्री लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
31. जेबू पुत्री लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
32. बानो पुत्री लाला जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
33. सलीम पुत्र स्व. इस्माईल जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
34. अमीर हसन पुत्र स्व. इस्माईल जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
35. सबीर पुत्र स्व. इस्माईल जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
36. बरकत पुत्री स्व. इस्माईल जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
37. बिस्मिल्ला पुत्री स्व. इस्माईल जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
38. अजीमन पत्नी स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
39. ज्यान मोहम्मद पुत्र स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
40. मो. फारूख पुत्र स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
41. जनत पुत्री स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
42. खातून पुत्री स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
43. सईदा पुत्री स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
44. रेहमत पत्नी स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी नेक नगर वार्ड नं. 25 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
45. मो. आरिफ पुत्र स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी नेक नगर वार्ड नं. 25 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
46. मेमुना पुत्री स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी नेक नगर वार्ड नं. 25 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
47. नजीरन पुत्री स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी नेक नगर वार्ड नं. 25 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
48. सबीरन पुत्री स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासी नेक नगर वार्ड नं. 25 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
49. स्व. सरीफन पत्नी स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
50. अयूब पुत्र स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
51. कयूम पुत्र स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
52. असलम पुत्र स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
53. नजमा पुत्री स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
54. गुलसन पुत्री स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
55. अकतर पुत्री स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
56. फिरदोश पुत्री स्व. रहीम बक्स जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 10 इस्लामिया मदरसा के पास बीदासर चूरू राजस्थान
57. जलालुदीन पुत्र स्व. गीगजी जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 17 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
58. रजाक पुत्र स्व. गीगजी जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 17 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
59. अब्दुल करीम पुत्र स्व. गीगजी जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 17 बीदासर जिला चूरू राजस्थान
60. जलालूदीन पुत्र मिसरू जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 24 बीदासर जिला चूरू राज.
61. फतु पत्नी स्व. गिन्नी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 उतरादा बास बगीची के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

62. गफूर पुत्र स्व. गिन्नी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 उतरादा बास बगीची के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
63. अब्दुल मजीद पुत्र स्व. गिन्नी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 उतरादा बास बगीची के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
64. सकूर पुत्र स्व. गिन्नी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 उतरादा बास बगीची के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
65. हमीदा पुत्री स्व. गिन्नी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 उतरादा बास बगीची के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
66. नगीना पुत्री स्व. गिन्नी जाति सिलावट निवासी वार्ड नं. 25 उतरादा बास बगीची के पास बीदासर जिला चूरू राजस्थान
67. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान
68. उप पंजीयक महोदय बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रिकॉर्ड दुरस्ती एवम् विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपस्थित

1. श्री अरविंद चौधरी एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री रघुवीर भामुं एड0 वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8।
3. श्री मोहम्मद शाहिद एड0 वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 15, 16, 18, 19, 21
4. श्री आमिन शेख एड0 वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 9,11,12,13,24,27 ता 32, 38ता 48,50,51,53 ता 62, 65, 66
5. पैरोकार राज0 वास्ते प्रतिवादीगण संख्या 67,68

निर्णय

दिनांक : 04.04.2018

वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र वादगत खेत खसरा नम्बर 58 तादादी 31 बीघा व खेत खसरा नम्बर 59 तादादी 24 बीघा वाके रोही ग्राम सिंवरों की ढाणी तह0 बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में काफी समय से चला आ रहा है। खेत खसरा नम्बर 57 खसरा नम्बर 58 व खसरा नम्बर 59 रोही सिंवरों की ढाणी वादीगण के पूर्वजों के स्थित चले आ रहे थे। वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को खसरा नम्बर 57 व 58 विक्रय किये गये थे। उसी समय से इन खसरों पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का कब्जा करवा दिया था व आज भी कब्जा काश्त चला आ रहा है। व खेत खसरा नम्बर 59 तादादी 24 बीघा पर पूर्वजों के समय से ही वादीगण व उसके परिवार का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण खसरा नम्बर 59 तादादी 24 बीघा में प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया जो अभी भी गलत चला आ रहा है। खेत खसरा संख्या 59 तादादी 24 बीघा वाके रोही सिवरों की ढाणी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उपरोक्त 24 बीघा खेत में से 12 बीघा दक्षिणी तरफ वादी मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. इब्राहीम का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। जिसमें उसने पट्टियां लगाकर तारबंदी कर रखी है। इसी प्रकार उत्तरी तरफ वादीगण निवाज मोहम्मद व अब्दुल मजीद का 6-6 बीघा हिस्सा भूमि खेत पर उपयोग उपभोग कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिनके चारों तरफ पटियां लगाकर तारबंदी कर रखी है। उपरोक्त खसरा नम्बर 59 तादादी 24 बीघा पर वर्षो से वादीगण का पुख्ता कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 का उपरोक्त खसरा में कोई सरोकार नहीं है। इनका अलग खेतों में हिस्सा पांती भूमि आई हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का इस खसरा भूमि में गलत नाम अंकित चला आ रहा है। जिसको वादीगण दुरस्त करवाना चाहतें है। जिससे कि वादीगण को सरकारी लाभांशों का उपयोग ले सके। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बार-बार रिकार्ड दुरस्त करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ऐसा करने से इनकार हो गये। इसलिए वादीगण को वादा धार व वाद हेतुक प्राप्त है। वादगत भूमि रोही सिंवरों की ढाणी तहसील बिदासर में स्थित होने से श्रीमान जी को दावा का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आदि-आदि वाद पत्र प्रस्तुत किया।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये समन तलब किया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 जरिये वकील उपस्थित आये व जवाब दावा व अतिरिक्त कथन पेश किया। जिसमें प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि हमारे पूर्वजों ने वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के पूर्वजों से खेत खसरा संख्या 57 व 58 रोही ग्राम सिंवरों की ढाणी तहसील

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बिदासर को वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वजों को विक्रय की दावा के मद संख्या 3 में वादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है। जिससे वादीगण पाबन्द है। खसरा नम्बर 58 को उनके पूर्वजों द्वारा प्रतिवादीगण मुजिदा के पूर्वजों को विक्रय कर देने के बाद वादीगण का ना तो कोई कब्जा काश्त खातेदारी दर्ज रह सकती है मगर गलत अंकन की आड़ में वादीगण द्वारा यह गलत मिथ्या दावा प्रस्तुत किया गया है। खेत साबिका खसरा नम्बर 27 तादादी 95 बिघा 10 बिस्वा वाके रोही ग्राम सिंवरों की ढाणी तहसील बिदासर जिसके हाल खसरा नम्बर 57 तादादी 40 बिघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 तादादी 21 बिघा व खसरा नम्बर 59 तादादी 24 बिघा हुए है। खेत खसरा नम्बर 57 खसरा नम्बर 58 को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट सन् 1955 लागू होने से पूर्व ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वज स्व. लाला पुत्र स्व. राजू जाति जाट निवासी ढाणी कालेरा तहसील बिदासर को साधिकार पूर्वक विक्रय कर दिये जाने के बाद वादीगण या उनके पूर्वजों का इन खसरा जात पर ना तो कोई प्रकार का सरोकार या कब्जा काश्त खातेदारी ही रही जो वादीगण के दावा की मद संख्या 3 में स्वयं द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से बखूबी प्रमाणित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 काश्तकार पैशा व्यक्ति भोले भाले होने से खेत खसरा नम्बर 58 तादादी 31 बीघा रोही सिंवरों की ढाणी तहसील बिदासर की खातेदारी बाला बाला राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विक्रय कर देने के बावजूद गलत रूप से वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। साथ ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि जरिये राजीनामा हमारा दावा डिक्री फरमाई जावे का निवेदन किया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 15,16,18,19,21 की ओर से जरिये वकील उपस्थित आये लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब व साक्ष्य सबूत पेश नहीं हुए व शेष प्रतिवादीगण की और से इकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया व इसी प्रकार दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया इनकी ओर से अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं हुए। न ही किसी अन्य प्रतिवादीगण की और से जवाब पेश हुआ न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य राजीनामा पेश हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 जो प्रदर्श 01 है। व जमाबंदी 2071 से 2074 खसरा संख्या 57 जो प्रदर्श 2 है व जमाबंदी सम्वत् 2071–74 खसरा संख्या 59 जो प्रदर्श 3 है नक्शा अक्स जो प्रदर्श 4 है। जमाबंदी पैमाइश सम्वत् 2002 जो प्रदर्श 5 है। भूप्रबंधक खसरा जमाबंदी जो प्रदर्श 6 है। जमाबंदी सम्वत् 2035 जो प्रदर्श 7 है। भूप्रबंधक जमाबंदी 2028 से 47 जो प्रदर्श 8 है। भूप्रबंधक सम्वत् 2021 जो प्रदर्श 9 है। जमाबंदी 2010 जो प्रदर्श 10 है, जमाबंदी सम्वत् 2011–14 जो प्रदर्श 11 है। जमाबंदी सम्वत् 2039 जो प्रदर्श 12 है। जमाबंदी सम्वत 2048 जो प्रदर्श 13 है। जमाबंदी सम्वत् 2051–54 जो प्रदर्श 14 है। जमाबंदी सम्वत् 2039 जो प्रदर्श 15 है। जमाबंदी सम्वत् 2048 जो प्रदर्श 16 है। जमाबंदी सम्वत् 2051–54 जो प्रदर्श 17 है। जमाबंदी सम्वत् 2063–66 जो प्रदर्श 18 है। जमाबंदी सम्वत् 2067–70 जो प्रदर्श 19 है। खसरा नम्बर 59 की छाया प्रति प्रदर्श 20 है। गिरदावरी सम्वत् 2013–14 जो प्रदर्श 21 है। गिरदावरी सम्वत् 2015–18 जो प्रदर्श 22 है। गिरदावरी सम्वत् 2019 से22 जो प्रदर्श 23 है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2025–28 जो प्रदर्श 24 है। गिरदावरी सम्वत् 2022–24 जो प्रदर्श 25 है। गिरदावरी सम्वत् 2011–14 जो प्रदर्श 26 है। मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.15 जो प्रदर्श 27 है। नक्शा अक्स मौका रिपोर्ट तहसीलदार बिदासर जो प्रदर्श 28 है। भूप्रबंधक जमाबंदी सम्वत् 2028–47 जो प्रदर्श 29 है। गिरदावरी सम्वत् 2021–24 जो प्रदर्श 30 है। गिरदावरी सम्वत् 2011–14 जो प्रदर्श 31 है। गिरदावरी सम्वत् 2013–15 जो प्रदर्श 32 है। गिरदावरी सम्वत् 2015–18 जो प्रदर्श 33 हैं। गिरदावरी सम्वत् 2019–20 जो प्रदर्श 34 है। राजीनामा जो प्रदर्श 35 है, आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये व साथ ही अपने दावा के समर्थन में साक्ष्य सबूत पी.डब्ल्यू. 01 मोह0 रफीक, पी. डब्ल्यू. 02 निवाज मोह0, पी.डब्ल्यू. 03 अब्दुल मजीद व पी.डब्ल्यू. 04 इस्माईल व पी.डब्ल्यू. 05 शेराराम के साक्ष्य सबूत पेश किये। व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की और से अपने साक्ष्य सबूत में डी.डब्ल्यू. 01 मांगीलाल, डी.डब्ल्यू. 02 अन्नाराम, डी. डब्ल्यू. 03 भागूराम के साक्ष्य सबूत पेश किये। अन्य और किसी की और से साक्ष्य सबूत पेश नहीं हुआ। उनके साक्ष्य बंद किये जाते है।

वादीगण की और से वादीगण के अधिकवक्ता ने अपनी मौखिक बहस में निवेदन किया कि मुताबिक दावा के मेरा दावा डिक्री किया जावे व हम पक्षकारों ने हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य राजीनामा पेश किया जा चूका है। जरिये राजीनामा हमारा दावा डिक्री किया जावे की रोही मौजा सिंवरों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 59 तादादी 24 बीघा जिनपर हम वादीगण अकेलों का ही पीढियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो वर्तमान में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। जो राजस्व कर्मचारियों की भूलवश किया गया है। जिसकों शुद्ध कर हम वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 का नाम दुरस्त किया जावे व साथ ही निवेदन किया कि रोही मौजा सिंवरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 58 रकबा 31 बीघा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के स्वयं के वा उनके पूर्वजों के नाम रिकार्ड दर्ज है जिसको हमारे पूर्वजों द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वजों को विक्रय कर दिया गया था। जिसपर आज दिन कब्जा काश्त उपयोग उपभोग प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का निर्बाध रूप से पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। जिसका वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
बिदासर (चरू)

राजस्व रिकार्ड दुरस्त कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया जावे तो हम वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त खसरा भूमि में अन्य प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 66 के पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उनको अपने हिस्सा पांती भूमि अन्य खसरों में से दी जा चूकी है व मुताबिक राजीनामा हमारा दावा डिक्री फरमाया जावे। साथ ही निवेदन किया कि वादपत्र के खसरा संख्या 59 रकबा 24 बीघा रोही सिंवरों की ढाणी में हम वादीगण का ही नाम दर्ज किया जावे। हमारे सहखातेदारान प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 का नाम दुरस्त किया जावे क्योंकि प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के भाईबंट व हिस्सा पांती भूमि जो पैतृक भूमियां थी उनमें से अन्य भूमि मुताबिक हिस्सा इनके दी गई है। जिनपर प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 का आज दिन तक कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है व मौका कमिश्नर रिपोर्ट व नक्शा जो प्रदर्श 27 व 28 है जिससे भी कब्जा काश्त वादीगण का ही प्रमाणित है व आज दिन ही कब्जा काश्त वादीगण का ही है इसलिए उपरोक्त खसरा भूमि में से इनका नाम खातेदारी रिकार्ड दुरस्त किया जावे आदि–आदि निवेदन किया।

प्रतिवादीगण सं 1 ता 8 के वकील की बहस सुनी गई। जिसपर प्रतिवादी के वकील ने निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के पूर्वजों से रोही ग्राम सिंवरों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 58 रकबा 31 बीघा व खसरा नं. 57 रकबा 40 बीघा दस बिस्वा भूमि हमारे पूर्वजों द्वारा खरीद किया हुआ है। लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की भूलवश खसरा संख्या 58 में खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 व वादीगण के पूर्वजों कि रख दी गई। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वजों ने क्रय की थी। जो वादीगण के वादपत्र की मद संख्या 3 व राजीनामा के मुताबिक स्वीकृति दी गई है के मुताबिक हमारा खेत खसरा संख्या 58 रकबा 31 बीघा में वादीगण व प्रतिवादीगण 9 ता 66 के पूर्वजों का वर्तमान दर्ज राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाकर हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। जो मुताबिक राजीनामा पेश है। दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट जो प्रदर्श 27 व 28 से भी प्रमाणित है कि खसरा संख्या 58 रकबा 31 बीघा में हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है व आज दिन भी कब्जा हमारा है।

पक्षकारों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 से 35 के अवलोकन से व पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से भी यह प्रमाणित है कि रोही सिंवरों की ढाणी के साबिका खसरा नम्बर 27 तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 57, 58, 59 है। जिनमें से खसरा संख्या 57 व 58 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के पूर्वजों के खातेदारी के थे। लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के पूर्वजों ने खसरा संख्या 57 व 58 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वजों स्व. लाला पुत्र स्व. राजू जाति जाट पूनिया को विक्रय कर दिया गया था। जिसका राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करते वक्त भूलवश खसरा संख्या 58 रकबा 31 बीघा वाके रोही सिंवरों की ढाणी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 के पूर्वजों का नाम खातेदारी में गलत दर्ज हो गया व वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू. 5 व डी.डब्ल्यू. 1 से 3 ने भी यह बताया गया है कि वादगत खेत खसरा संख्या 57 व 58 पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का करीब 60–70 वर्षों से पहले इनके पूर्वजों का कब्जा काश्त था व आज प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का कब्जा काश्त चला आ रहा है इससे भी यह प्रमाणित है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट जो प्रदर्श 27 व 28 है जो तहसीलदार बिदासर द्वारा व पटवारी व गिरदावल हलका की मौजूदगी में देकर रिपोर्ट तैयार की है जिसपर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। इससे साफ प्रमाणित है कि उपरोक्त खसरा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के खरीद से आज दिन तक कब्जा काश्त इन्हीं का है व खसरा संख्या 59 रकबा 24 बीघा रोही सिंवरों की ढाणी में वर्तमान खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की चली आ रही है जबकि कब्जा काश्त वादीगण का निर्बाध रूप से पूर्वजों के समय से चला आ रहा है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 5 व मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार बिदासर द्वारा तैयार कर पेश की गई जिससे बखूबी प्रमाणित है कि आज दिन भी कब्जा काश्त वादीगण का निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उपरोक्त दावा में अन्य प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 66 द्वारा भी कोई जवाब व साक्ष्य ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे दावा को स्वीकार नहीं किया जाता हो प्रतिवादीगण संख्या 9, 11, 12, 13, 24, 27 ता 32, 38 ता 48, 50, 51, 53 ता 62 व 65, 66 में अपना इकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अन्य पक्षकार प्रतिवादीगण संख्या 10, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 33से 37, 52, 63, 64 बावजूद तामील के हाजिर नहीं हुए इससे भी यह प्रमाणित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उनके द्वारा स्वीकारोक्ति है व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई जवाब दावा व कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह माना जाए कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार नहो किया जाता हो अन्य किसी प्रतिवादीगण द्वारा कोई उजर आपत्ति पेश नहीं की पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण पेश नही है जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 व वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री नहीं किया जाता हो। इस प्रकार खसरा संख्या 59 रकबा 24 बीघा रोही सिंवरों की ढाणी में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पूर्वजों का नाम खातेदारी में गलत दर्ज हो गया। जिसको दुरूस्त किया जाकर खसरा संख्या 59 रकबा 24 बीघा में वादीगण की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाना उचित प्रतीत होती है व खसरा संख्या 58 रकबा 31 बीघा रोही

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

सिंवरों की ढाणी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी उचित प्रतीत होती है। इस बाबत् पक्षकारों ने आपस में राजीनामा भी पेश किया है मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत समझता हुं। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य सबूत से भी प्रमाणित है कि मुताबिक राजीनामा दावा निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वाकपत्र जरिये राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि साबिका खसरा संख्या 27 तादादी 95 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 57 तादादी 40 बिघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 58 तादादी 31 बीघा व खसरा संख्या 59 तादादी 24 बीघा रोही सिवरों की ढाणी तहसील बिदासर जिला चूरू राजस्थान में से खसरा संख्या 58 तादादी 31 बीघा रोही सिंवरों की ढाणी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण मांगीलाल, भागुराम, गणपतराम, सुखाराम, कानाराम पुत्रगण बिडदाराम जाति जाट निवासी ढाणी कालेरा व भंवराराम, हड़मानाराम, सोहनराम पुत्रगण पेमाराम जाति जाट निवासी ढाणी कालेरा तहसील बिदासर जिला चूरू राजस्थान का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे व खसरा संख्या 59 रकबा 24 बीघा रोही सिवरों की ढाणी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण मोहम्मद रफीक पुत्र स्व. इब्राहीम जाति सिलावट निवासी वार्ड नम्बर 10 बिदासर का 1/2 हिस्सा वृ निवाज मोहम्मद, अब्दुल मजीद पुत्रगण स्व. बिलाल जाति सिलावट निवासीगण वार्ड नम्बर 25 नेक नगर बिदासर का संयुक्त 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अन्तिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते